

प्रका : 7, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
H.O.: 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi - 110066
B.O.:
शाखा :

विशिष्ट स
Dist. No.

ए टी एम कार्ड हेतू
For **ATM** Card

1. नाम (पूरा)
Name of the Account Holder to whom ATM Card is to be issued

उपनाम Surname	प्रथम नाम First Name	मध्य नाम Middle Name

2. उत्कीर्ण किये जाने वाला नाम
(20 अक्षरों से अधिक न हो)
Name to be embossed
(not to exceed 20 characters)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(प्रत्येक आक्षर/उपनाम/प्रथम/मध्यनाम के बीच एक-एक बाक्स छोड़ें)

(Leave one box blank after every initial / surname / first name / middle name)

3. आवासीय पता
Correspondence Address

4. कार्यालय पता
Office Address

5. खाता विवरण
Account Details

बचत निधि / चालू खाता
Saving Fund / Current / OD Account
ए टी एम कार्ड हेतू उद्दिष्ट राशि
Amount to be earmarked for ATM Card

--	--	--	--	--	--	--	--

6. बैंक लियन के अन्तर्गत सावधि जमा रसीद के विवरण (ऑन लाइन सुविधा के साथ-साथ अन्य ए टी एम कार्यालयों में ऑफ लाइन सुविधा लेने के इच्छुक ग्राहकों के लिये)
Details of Fixed Deposits under Bank lien (For customers desiring off-line facility at other ATMs in addition to on-line facility)

सावधि जमा खाता संख्या (यें)/ रसीद नं. Fixed Deposit Account Number(s) / Receipt Number	राशि Amount	परिपक्वता तिथि Maturity Date

7. कार्ड अनुरोध
Card Request

नया / अतिरिक्त
New / Additional

पुनः स्थापना
Replacement

ऑफ लाइन हेतु रुपये

तक (रुपये

मात्र)

For off-line limit upto Rs. _____

(Rupees _____

Only).

यदि पुनः स्थापना हेतु अनुरोध है तो पुनः स्थापना हेतु कारण पर सही (✓) का निशान लगायें
If request is for replacement, please tick the reason for replacement :

गुम / चोरी (_____ को _____ में सुचित _____) समाप्त
Lost / Stolen (report on _____ At _____) Expired

क्षतिग्रस्त
Damaged

अन्य कोई कारण
Any other reason

8. घोषणा :

मैंने ए टी एम कार्ड का प्रयोग हेतु निर्धारित नियमों व शर्तों (पीछे पृष्ठ पर दी गई है) को पढ़-र समझ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिये सहमत हूँ। मैं बैंक को मूझे जारी ए टी एम कार्ड के प्रयोग करते हुये लेन-देन करने के लिये उन्हें ब्याज लागतों, फीस इत्यादि के लिये उल्लिखित बचत निधि/चालू खाता उद्दिष्ट करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। मैं बैंक से ए टी एम कार्ड जारी किये जाने का आग्रह करता हूँ।

Declaration :

I/we have read and understood the Terms and Conditions (given overleaf) governing the use of ATM Card and agree to abide by them. I / We authorise the bank to debit the above mentioned SF / CA / OD with the amount with-drawn using the ATM Card and the amount of service charges, interest costs, fees etc. as applicable from time to time.

9. Authorisation
(in case of joint account)

We authorise to issue ATM card to _____

I / We request the Bank to issue an ATM Card as above :

स्थान :

Place :

दिनांक :

Date :

आवेदक के हस्ताक्षर
(Signature of a/c holder(s))

(For Office Use only)

S. No. _____

Balance In Savings Fund/Current Account _____

Verified Details of Fixed deposits and signatures of the account holder / s as given above. Request acceded and issued ATM Card No. _____
/ Request Declined for the reason _____

दिनांक Date

अधिकारी Officer

प्रबन्धक Manager

नियम एवं शर्तें / TERMS AND CONDITIONS

- ए टी एम कार्ड (इसके बाद ए टी एम कार्ड अथवा कार्ड कहा जायेगा) का अर्थ है बैंक के द्वारा स्थापित स्वचालित टेलर मशीनों (ए टी एम) के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन करने के लिये बैंक (इसके परचात जिसका अर्थ है पंजाब नेशनल बैंक और इसके उत्तराधिकारी और समन्वयन) द्वारा आवेदक (इसके परचात कार्डधारक कहा जायेगा) को जारी कार्ड है।
ATM Card (hereinafter referred to as ATM Card or Card) means the card issued by the Bank (which hereinafter means Punjab National Bank and its successors and assigns) to the applicant (hereinafter referred to as Card holder) for effecting banking transactions through "Automated Teller Machines" (ATM) installed by the Bank.
- कार्डधारक उस शाखा में अपना एक व्यक्तिगत चालू / बचत निधि खाता अवश्य रखे जिसमें ए टी एम कार्ड के लिये आवेदन पत्र जमा किया है। नामित खाता संयुक्त नामों में हो सकता है। संयुक्त खाता में से केवल एक को कार्ड जारी किया जायेगा।
The cardholder must maintain a personal Current / Savings Fund account at the branch to whom the application for ATM Card is submitted. The designation account can be in joint names. Only one of the Joint holder shall be issued the card.
- कार्डधारक अपने खाते में पर्याप्त शेष रखेगा और किसी भी समय कार्डधारक ऑफ लाइन धनराशि निकालने के लिए ए टी एम कार्ड का प्रयोग नहीं करेगा अथवा प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि उसके खाते में पर्याप्त अथवा विनिर्दिष्ट निधि न हो अथवा बैंक के साथ पहले से सहमत अन्य व्यवस्थायें न हों।
The Cardholder shall keep sufficient balance in his / her account and at no time shall the Cardholder use or attempt to use the ATM Card for off-line withdrawal unless there are sufficient funds in his / her account or be within specific or other arrangements agreed to previously by the Bank.
- बैंक कार्डधारक के खाते में उसके द्वारा ए टी एम कार्ड का प्रयोग करते हुए ए टी एम से निकाली गई राशि को नामे लिखेगा। कार्डधारक बैंक के लेन-देन रिकार्ड को सभी प्रयोजनों के लिये निष्कर्ष और बाध्य मानेगा।
Bank shall debit Cardholder's account with the amount withdrawn from the ATM by the use of the ATM Card. The Cardholder shall accept the Bank's record of transactions as conclusive and binding for all purposes.
- बैंक कार्डधारक के खाते से समय समय पर लागू दरों पर ब्याज अथवा खाते में हुये ओवरड्राफ्ट पर दण्डस्वरूप ब्याज सहित अधिक उधार दर से ब्याज प्रभारित और डेबिट करेगा। यह तक के विवेकानुसार कार्ड रद्द करना तथा बैंक द्वारा उचित समयानुसार कारवाई के अतिरिक्त होगा।
Bank would charge and debit to the Cardholder's account interest at rates applicable from time to time or its maximum lending rate with penal interest on the overdrafts created in the account. This would be in addition to the cancellation of the card, at the discretion of the Bank and any other action which the Bank may deem fit.
- कार्डधारक को ए टी एम कार्डधारण अवधि के दौरान ऑफ लाइन निकास सीमा की दुगनी या इससे अधिक राशि की सावधि जमा रखनी होगी। खाते में अपेक्षित निधियाँ उपलब्ध कराने में असफल होने पर, खाते में हुये अनाधिकृत ओवरड्राफ्ट को समायोजित करने के लिये नियामक जमा राशियों का उपयोग में लाया जायेगा।
The Cardholder shall maintain a fixed deposit of two times the off-line withdrawal limit and above during the currency of holding the ATM Card. The proceeds of the fixed deposit shall be utilised to adjust any unauthorised overdraft created in the account if he / she fails to make available the requisite funds in the account.
- कार्डधारक कार्ड के प्रयोग से हुए सभी लेन-देनों, चाहे वे कार्डधारक की जानकारी से हैं नहीं अथवा उसकी निहित प्राधिकार, अभिव्यक्ति अथवा निहित सहमति से हुई हैं, को पूरी जिम्मेदारी हर अवस्था में स्वीकार करेगा।
The Cardholder shall in all circumstances accept full responsibility for all the transactions processed by the use of the card, whether or not processed with Cardholder's knowledge or by his / her implied authority, express or implied.
- कार्डधारक बैंक को और / उसके प्राधिकृत एजेंटों को अधिकृत करता है कि वह बैंक के पास रखे कार्डधारक के किसी भी खाते से अथवा कार्डधारक के किसी अन्य बैंक अथवा संस्था में रखे किसी भी खाते से सभी प्रकार की देयताओं की वसूली के लिए प्राधिकृत करेगा।
The Cardholder authorises the bank and or his duly authorised agent to recover all dues from any of the accounts of the Cardholder with the bank or to recover such dues from any of the accounts of the Cardholder with any other bank or institution.
- बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्कों, ब्याज लागतों, प्रभारों और व्ययों को कार्डधारक के खाते में नामे लिख कर वसूला जायेगा।
All fees, interest cost, charges and expenses are determined by the bank from time to time and will be recovered to the debit of Cardholder's account.
- कार्ड बैंक का सम्पत्ति रहेगी और इसे माफ़ जाने पर बैंक को वापस करना होगा।
The Card shall remain the property of the bank and will be surrendered to Bank on demand.
- बैंक कार्ड निरस्त करने और बिना किसी कारण बताये किसी भी समय इसका संचालन को बंद करने का अधिकार रखता है।
The Bank reserves the rights to cancel the card and stop its operations anytime without assigning any reason.
- कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है और केवल कार्डधारक द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा।
The card is not transferable and shall be used only by the Cardholder.
- ए टी एम कार्ड जारी करने पर कार्डधारक का एक गुप्त व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) बताया जायेगा। कार्ड प्रयोग में लाने से पहले कार्डधारक को अपनी इच्छानुसार पिन बदलना चाहिए। इसके बाद उसके द्वारा अपने सभी ए टी एम लेन-देनों के लिये इस पिन का उपयोग तब तक किया जाना चाहिये जब तक कि वह उसे न बदले।
On issuance of ATM Card, the Cardholder shall be advised secret Personal identification Number (PIN) Before using the card, the cardholder should change this PIN with the PIN of his choice. The PIN should thereafter be used for all his ATM transactions until changed by him.
- कार्डधारक किसी भी स्थिति और समय में किसी अन्य व्यक्ति को पिन नहीं बतायेगा।
At no time and in no circumstances shall the cardholder inform the PIN to any other person.
- कार्डधारक का कार्ड खो जाने / चोरी हो जाने पर इसकी सूचना लिखित में तुरन्त नामित कार्यालय / जारीकर्ता शाखा को देना चाहिए इसके बाद बैंक, अनुरोध की धानबीन करने के बाद, औचित्यपूर्वक समय में पुनः स्थापन कार्ड, जहाँ कहीं आवश्यक हो जारी करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा। बैंक नामित खाते में पुनः स्थापना कार्ड जारी करने के लिये लागू प्रभारों को लगायेगा।
In case of loss / theft of Card, the Cardholder shall immediately advise the designated office / issuing branch the same in writing. The Bank will then, after scrutiny of the request, take necessary steps to issue replacement card, wherever necessary, within reasonable time. Bank will levy the charges applicable for issuance of replacement cards in the designated account.
- पुनः स्थापन कार्ड जारी करना विद्यमान कान्ट्रैक्ट के अनुक्रम में होगा।
Issuance of replacement card shall be construed as the continuation of existing contract.
- कार्डधारक द्वारा ए टी एम कार्ड के गुप्त / चोरी हो जाने की सूचना बैंक के जानकारी में लिखितरूप में आने से पूर्व ए टी एम कार्ड के अनधिकृत उपयोग होने की स्थिति में, उस अवधि के दौरान जितनी राशि का लेन-देन हुआ है, उसके लिये कार्डधारक जिम्मेदार है। बैंक ऐसे लेन-देनों को कार्डधारक के खाते में डेबिट करेगा।
In the event of unauthorised use of ATM Card prior to bank acknowledging receipt of notice of its loss or theft in writing, the Cardholder will be responsible for the amounts involved in any transaction which have taken place during the intervening period. Bank shall debit to the Cardholder's account all such transactions.
- ए टी एम का उपयोग समाप्त करने के इच्छुक कार्डधारक बैंक को न्यूनतम 10 दिन पहले लिखित में इस आशय का नोटिस देना और बैंक को कार्ड अर्पित करेगा। उसे नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद ही नामित खाता बन्द कराने की स्वीकृति मिलेगी।
Cardholder desirous of terminating the use of ATMs shall give the Bank not less than 10 days prior notice in writing and surrender the Card forthwith to the Bank. He / She shall be allowed to close the designated account only after expiry of the notice period.
- ए टी एम कार्ड जारी करने पर कार्डधारक को एक गुप्त
If the Card is not honoured in the desired manner due to failure of the ATM or if the ATM is destroyed or not functioning due to any reason including power failure temporary insufficiency of Cash in the ATM etc. or any other reason, the Bank shall not be liable for any consequential or indirect loss or damage arising therefrom.
- बैंक कार्डधारक के खातों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी, जिस आवश्यक अथवा यथोचित समझा जाये, अतिगोपनीय ढंग से अन्य संस्थानों को दे सकता है।
Bank may disclose, in strict confidence to the other institution such information concerning the Cardholder's accounts as may be necessary or appropriate.
- बैंक कार्डधारक को पूर्व सूचना दिये बिना अपने पूर्ण विवेकाधिकार सेवाओं के समय अथवा निकासी की धनराशि सीमित करने सहित इन निबंधनों व शर्तों में संशोधन अथवा पूर्ण व्यवस्था कर सकता है।
The Bank may in its absolute discretion amend or supplement any of these terms and conditions including limiting the amount of withdrawal or timing of the service without prior notice to the Cardholder.
- बैंक को प्रदत्त शक्तियाँ और प्राधिकार अप्रतिस्वर्णीय हैं।
The Power and authorisations conferred on the Bank are irrevocable.

(आवेदक के हस्ताक्षर)
(Signature of Applicant)